



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042026-271928
CG-DL-E-20042026-271928

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1888]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948

No. 1888]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

का.आ. 1959(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में NH51 के कि.मी. 38.2 से कि.मी.85.118 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारीको लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और

ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में NH51 के कि.मी. 38.2 से कि.मी.85.118 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: सुरेंद्रनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: धरांगधरा					
गांव का नाम: जगडवा					
1	562	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0147 (हेक्टेयर)	0.0147
गांव का नाम: नवलगढ़					
2	144	निजी	एग्रीकल्चर	0.0305 (हेक्टेयर)	0.0305
3	529	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
4	558	निजी	एग्रीकल्चर	0.2536 (हेक्टेयर)	0.2536
5	993	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
गांव का नाम: प्राथगढ़					
6	321	निजी	एग्रीकल्चर	0.0129 (हेक्टेयर)	0.0129
गांव का नाम: धरंगाधरा					
7	1557/p	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	3.3402 (हेक्टेयर)	3.3402
8	186	निजी	एग्रीकल्चर	0.5734 (हेक्टेयर)	0.5734
9	187	निजी	एग्रीकल्चर	0.0787 (हेक्टेयर)	0.0787

10	247/p2	निजी	एग्रीकल्चर	0.6312 (हेक्टेयर)	0.6312
11	253/p1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0217 (हेक्टेयर)	0.0217
12	260	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.3425 (हेक्टेयर)	0.3425
13	266	निजी	एग्रीकल्चर	0.4214 (हेक्टेयर)	0.4214
14	267	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0854 (हेक्टेयर)	0.0854
Total					5.8139

[फा. सं. 06/2019/GJ/ZONE-V/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2026

S.O. 1959(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH51 in the stretch of land from Km. 38.2 to Km. 85.118 in the district of SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH51 in the stretch of land from
Km. 38.2 to Km. 85.118 in the district of SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: SURENDRANAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dhrangadhra					
Village: Jegadva					
1	562	Private	Non Agriculture	0.0147 (Hectare)	0.0147
Village: Navalgadh					
2	144	Private	Agriculture	0.0305 (Hectare)	0.0305
3	529	Government	Non Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
4	558	Private	Agriculture	0.2536 (Hectare)	0.2536
5	993	Government	Non Agriculture	0.0027 (Hectare)	0.0027
Village: Prathugadh					
6	321	Private	Agriculture	0.0129 (Hectare)	0.0129
Village: Dhrangadhra					
7	1557/p	Government	Non Agriculture	3.3402 (Hectare)	3.3402
8	186	Private	Agriculture	0.5734 (Hectare)	0.5734
9	187	Private	Agriculture	0.0787 (Hectare)	0.0787
10	247/p2	Private	Agriculture	0.6312 (Hectare)	0.6312
11	253/p1	Private	Non Agriculture	0.0217 (Hectare)	0.0217
12	260	Government	Non Agriculture	0.3425 (Hectare)	0.3425
13	266	Private	Agriculture	0.4214 (Hectare)	0.4214
14	267	Government	Non Agriculture	0.0854 (Hectare)	0.0854
Total					5.8139

[F. No. 06/2019/GJ/ZONE-V/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director